

Form No.III

फर्द अहमका

(नियम 26)

## न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा


श्री मिटूलाल गुर्जर.

बनाम

भंवर गुर्जर वगै०

किस्म मुकदमा .....वादपत्र धारा 88, 89, 92क, 188 आर.टी.एक्ट

प्र.न. 155 सन् 2010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमका जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.04.2018	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2010 से लम्बित होकर आज वादी को प्रस्तुत करने विपक्षीगण 12 के कायम मुकाम प्रार्थनापत्र व विपक्षी संख्या 14 के सम्मन/प्रोसेस हेतु नियत है। यानि प्रकरण विगत 8 वर्षों से विपक्षीगणों की तलबी चरण पर विचाराधीन है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। सुनवाई दिनांक 30.08.2013 को वादी को इस पूर्ति बाबत अन्तिम अवसर दिया जा चुका है। पैशी दर पैशी निरन्तर वादी को उपरोक्त प्रतिपूर्ति बाबत स्मरण कराया जाता रहा है। एक ही विषय को लेकर बार बार स्मरण कराया जाना भी उचित नहीं है। इस सन्दर्भ में अतिरिक्त अवसर और दिये जाने का भी कोई संतोषप्रद कारण वादी द्वारा पूर्व में सुझाया नहीं गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनावई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोना जाया होता है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 05 सी.पी.सी. के तहत, वादी की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।</p> <p>पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा</p>	